

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:—नर्सिंग / नर्स-2(F) / पी-40 / 2019 /

दिनांक:—

आदेश

श्रीमती प्रीति नायक, (परिवीक्षाधीन), सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, के0पाटन, बून्दी का चिकित्सा प्रमाण पत्र(स्वयं की बीमारी) के आधार पर निम्नानुसार आवेदित अवकाश स्वीकृत किया जाता है :-

| क्र. सं. | दिनांक से | दिनांक तक | अवधि दिवस में | अवकाश का प्रकार |
|----------|-----------|-----------|---------------|-----------------|
| 1 | 27.02.16 | 29.03.16 | 32 | असाधारण अवकाश |

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक **F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1** दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिवीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

→
(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:—नर्सिंग / नर्स-2(F) / पी-40 / 2019 / 222

दिनांक:— 12/3/19

प्रतिलिपि:—निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी ।
2. सम्बन्धित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
3. प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें।
4. आदेश / रक्षित पत्रावली ।

L
(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर